न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–1 केकड़ी, जिला–अजमेर.

पीठासीन अधिकारी	–	जयमाला पानीगर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	–	33/2023.
सी.आई.एस. नंबर	–	33/2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	208/2022 पुलिस थाना केकड़ी सदर.
सी.एन.आर. नंबर	–	आर.जे.ए.जे.130005442023.

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, केकड़ी, जिला–अजमेर.

ब ना म

1. उमाशंकर पुत्र घनश्याम आयु 37 वर्ष.
2. श्रीमती मनसौर देवी पत्नी उमाशंकर आयु 35 वर्ष,
   निवासीगण प्रान्हेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी सदर, जिला–अजमेर. (राज.).

.. अभियुक्तगण.

अपराध अन्तर्गत धारा 447, 451, 323, 308 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.

उपस्थितिः–

1. श्री मोहिन्दर कुमार जोशी, अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य.
2. श्री शिवप्रसाद पाराशर, श्री फरीद खान अधिवक्ता अभियुक्तगण.

– **नि र्ण य** – **दिनांकः 10 जून 2026**.

01– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 14–10–2022 को परिवादी राजेश कुमार ने पुलिस थाना केकड़ी सदर पर उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी की आराजी ग्राम प्रान्हेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला–अजमेर में स्थित है, जिस पर प्रार्थी ने सरसों की फसल काश्त कर रखी है। दिनांक 13–10–2022 को मुलजिमान उमाशंकर, मनसौर ट्रेक्टर लेकर

उसकी आराजी में घुस गए व उसकी काश्त की गई सरसों की फसल को खुर्दबुर्द कर दिया। दिनांक 14–10–2022 को प्रार्थी की माता आरामी देवी ने उक्त बात का ओलमा मुलजिमान को दिया तो मुलजिमान ने प्रार्थी की माता के साथ गाली–गलौच करने लग गए तथा मुलजिम उमाशंकर घर के अन्दर से कुल्हाड़ी लेकर आया व जान से मारने की नीयत से प्रार्थी की माता पर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया, जिससे प्रार्थी की माता के सिर पर गहरी चोट कारित हुई व लात–घूंसों से बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसके शरीर पर जगह–जगह चोटें आई। वह बचाने गया तो मुलजिमान ने उसके साथ गाली–गलौच व मारपीट करने लग गए। मुलजिमा मनसौर ने उसके साथ लकड़ी से जान से मारने की नीयत से सिर व हाथ पर मारी, जिससे उसके सिर व हाथ पर गहरी चोटें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच–बचाव कराया, आदि।

03– उक्त के आधार पर पुलिस थाना केकड़ी सदर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–208/202 अन्तर्गत धारा 323, 308, 447, 452 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण उमाशंकर व श्रीमती मनसौर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 451, 447, 323, 308 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्म मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–दो केकड़ी, जिला–अजमेर में पेश किया गया। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–दो केकड़ी, जिला–अजमेर द्वारा प्रकरण में बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया व धारा 308 भा.दं.सं. सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया।

04– अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्तगण को धारा 451/34, 447/34, 323/34, 308/34 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध आरोप सुन व समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

05– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नाकिंत साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः–

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण
PW-01	राजेश कुमार	परिवादी, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-02	आरामीदेवी	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-03	राजेन्द्र मीण	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-04	मन्जूदेवी	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-05	सम्पतराज	एच.एम. मालखाना, अनुसंधान अधिकारी.
PW-06	डा. मुंशीलाल मीण	चिकित्सीय साक्षी.
PW-07	शिवप्रकाश	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-08	सम्पतलाल	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.

06– अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाएः–

प्रदर्श मार्क संख्या	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी–01	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी–02	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श पी–03	नक्शा–मौका घटनास्थल.
प्रदर्श पी–04	नक्शा–मौका घटनास्थल.
प्रदर्श पी–05	चोट प्रतिवेदन राजेश कुमार.
प्रदर्श पी–06	चोट प्रतिवेदन आरामीदेवी.
प्रदर्श पी–07	एक्सरे फार्म आरामीदेवी.
प्रदर्श पी–08	एक्सरे रिपोर्ट आरामीदेवी.
प्रदर्श पी–09	जमाबंदी.
प्रदर्श पी–10	नक्शा ट्रेस.
प्रदर्श पी–11	मौका पर्चा.
प्रदर्श पी–12	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता मनसौर.
प्रदर्श पी–13	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त उमाशंकर.
प्रदर्श पी–14	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला अभियुक्त उमाशंकर.
प्रदर्श पी–15	फर्द जब्ती कुल्हाड़ी.
प्रदर्श पी–16	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला अभियुक्ता मनसौर.
प्रदर्श पी–17	फर्द जब्ती बांस की लकड़ी.
प्रदर्श पी–18	फर्द नक्शा–मौका बरामदगीस्थल.
प्रदर्श पी–19	फर्द तस्दीक नक्शा–मौका घटनास्थल.
प्रदर्श पी–20 व 21	रोजनामचा रपट.
प्रदर्श पी–22	आरोपीगण के मकान की तस्दीक बाबत् ग्रा.पं. का प्रमाण पत्र.
प्रदर्श पी–23	मालखाना रजिस्टर.
प्रदर्श पी–23ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति.
प्रदर्श पी–24	आर्टिकल–1 लोहे की कुल्हाड़ी पर सीलचेपा.
प्रदर्श पी–25	आर्टिकल–2 लकड़ी पर सीलचेपा.
प्रदर्श पी–26	चार्जशीट.

07– अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नांकित आर्टिकलों को प्रदर्शित कराया गया।

आर्टिकल–1	लोहे की कुल्हाड़ी पर सीलचेपा.
आर्टिकल–2	लकड़ी पर सीलचेपा.

08— अभियोजन की साक्ष्य समाप्ति पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आई साक्ष्य का स्पष्टीकरण धारा 313 द.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. के तहत अभियुक्तगण से लिए गए तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना तथा स्वयं को झूठा फंसाए जाने का कथन किया एवं साक्ष्य सफाई में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

09— प्रकरण के इस स्तर पर परिवादी/आहतगण व अभियुक्तगण की ओर से धारा 447/34, 451/34, 323/34 भा.दं.सं. हेतु राजीनामा पेश किया गया, जो पृथक से तस्दीक किया गया। अब अभियुक्तगण पर धारा 308/34 भा.दं.सं. में ही विचारण शेष है।

10— बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई। **विद्वान अपर लोक अभियोजक** ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है। अतः निवेदन है कि अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

11— इसके विपरीत दौराने **बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण** की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी के साथ कोई मारपीट नहीं की तथा किसी भी गवाह के द्वारा साक्ष्य नहीं दी गई है कि अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी के साथ मारपीटकी गई हो। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं है। अतः निवेदन है कि अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

12— उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः—

''आया अभियुक्तगण ने दिनांक 14—10—2022 को समय 6.00 ए.एम. या उसके लगभग आपस में मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में ग्राम प्रान्हेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी सदर पर परिवादी/आहत राजेश कुमार व आहता श्रीमती आरामी देवी के सिर पर वार कर आपराधिक मानव वध कारित करने के आशय/ज्ञान के साथ मारपीट की कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण आपराधिक मानव वध के दोषी होते ?

2. यदि हां तो उसकी सजा क्या होगी ?

13— अभियुक्तगण पर **धारा 308/34 भा.दं.सं.** का आरोप है। अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित सहघटक को साबित करना है—

(1) अभियुक्तगण ने जानबूझकर कोई कार्य या स्पष्ट प्रयास किया,
(2) यह कृत्य मृत्यु का कारण बनने के इरादे से या इस ज्ञान के साथ किया होना चाहिए कि यह कृत्य खतरनाक है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है।

14— अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को साबित करने के लिए कुल 08 गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई है, जिनमें से **गवाह पी.ड.—1 राजेश**

कुमार ने साक्ष्य दी है कि वह मजदूरी करता है। दिनांक 14.10.2022 को जमीनी विवाद को लेकर उमा शंकर व उसके बीच लड़ाई झगड़ा हो गया था। उमा शंकर उसके बड़े पिताजी का लड़का है। उसके खेत में सरसों की खड़ी फसल का नुकसान कर दिया जिसके कारण वह और उसकी मां ने उमा शंकर को ओलम्बा दिया फिर कहासुनी हो गयी और लड़ाई हो गयी। लड़ाई के कारण उसकी मां के सिर में चोट आयी और उसके भी सिर और कोहनी पर चोट आयी। उमा शंकर ने उसकी मां के सिर में मारी। उसके बाद उसने केकड़ी सदर पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करायी। पुलिस वालों ने उसके बयान लिये थे और नक्शा मौका बनाया। उसका और उसकी मां का मेडिकल करवाया। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 3 व 4 है, उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 है। उपरोक्त पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

15– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि हमारे बीच जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी तथा आवेश में आकर मुकदमा दर्ज करवाया था। यह सही है कि लड़ाई में आपसी धक्का–मुक्की की वजह से मेरी मां नीचे गिर गई थी, जिससे उसके चोटें आई थी तथा अभियुक्तगण ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की।

16– **गवाह पी.ड.–02 आरामी** ने साक्ष्य दी है कि करीब दो–ढाई साल पहले उनके खेत में खड़ी सरसों की फसल को उमा शंकर ने नुकसान कर दिया। उसकी पत्नी मनसोर भी साथ थी। वह उनको फसल नुकसान करने का ओलम्बा देने गयी तो वहां उनके बीच लड़ाई हो गयी। उसके बाद उसने व उसके बेटे ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस वालों ने उसके बयान लिये तथा मेडिकल करवाया। लड़ाई के दौरान उसके सिर में और कमर में चोट आयी। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 है, उसके एक्स–रे फॉर्म प्रदर्श पी 7 है व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 है।

17– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि हमारे बीच जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी तथा आवेश में आकर मैंने व मेरे बेटे ने मुकदमा दर्ज करवाया था। यह सही है कि लड़ाई में आपसी धक्का–मुक्की की वजह से मैं नीचे गिर गई थी, जिससे मेरे चोटें आई थी तथा अभियुक्तगण ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की।

18– **गवाह पी.ड.–03 राजेन्द्र मीणा** ने साक्ष्य दी है कि वह ग्राम प्रान्हेड़ा में कृषि कार्य करता है। वर्ष 2022 की बात है उमाशंकर व राजेश के मध्य जमीन को लेकर विवाद हुआ था। वह सुबह 6 बजे दूध लेने के लिये उमाशंकर के घर गया था तब उमाशंकर व उसकी पत्नि तथा राजेश तथा उसकी मां के मध्य झगड़ा हो रहा था। लड़ाई झगड़े के दौरान राजेश की मां के सिर में तथा उमाशंकर की पत्नि के हाथ में चोट आयी थी। मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कराया। उमाशंकर व उसकी पत्नि तथा राजेश व उसकी मां ईलाज हेतु केकड़ी अस्पताल आये। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि राजेश व उमाशंकर के मध्य जमीन की बुवाई को लेकर विवाद हुआ था। मेरी जानकारी में नहीं है कि किसने, किसको मारी थी, जिसके कारण चोटें आई थी। मैं मौके पर पहुंचा, तब तक लड़ाई–झगड़ा खत्म हो चुका था।

19– **गवाह पी.ड.–04 मन्जू देवी** ने साक्ष्य दी है कि आज से 2 साल पहले की बात है वह अपनी बहिन आरामी से मिलने प्रान्हेड़ा गयी थी। वह सो रही थी तब उमाशंकर व आरामी के मध्य खेतीबाड़ी को लेकर लड़ाई–झगड़ा हुआ। उसने लड़ाई होते हुये नही देखी जब वह मौके पर गयी तब लड़ाई–झगड़ा खत्म हो गया था। लड़ाई–झगड़े के दौरान आरामी के सिर में चोट आयी तथा उसे अस्पताल लेकर गये। वह बाद में अपने गांव चली गयी थी। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मैं घर पर सो रही थी। लड़ाई–झगड़े की आवाज सुनकर उठी, तब तक लड़ाई–झगड़ा खत्म हो गया था। मेरी जानकारी में नहीं है कि किसने, किसको मारी।

20– **गवाह पी.ड.–05 संपतराज** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 14.10.2022 को पुलिस थाना केकडी सदर पर हैड कानि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रार्थी राजेश कुमार वैष्णव द्वारा पेश प्रार्थना पर श्रीमान थानाधिकारी द्वारा मुकदमा नंबर 208/2022 दर्ज कर अनुसंधान हेतू उक्त प्रकरण उसके सुपुर्द किया। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी परिवादी राजेश के हस्ताक्षर है जिसकी पुश्त पर कार्यवाही पुलिस का अंकन है तथा सी से डी एसएचओ केकडी सदर के हस्ताक्षर है। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 2 है जिस पर सी से डी थानाधिकारी अनिल जी के हस्ताक्षर है जिनको वह साथ काम करने से पहचानता है। उसके द्वारा उक्त प्रकरण का अनुसंधान आरम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी राजेश मजरूबा श्रीमती आरामी के आयी चोटों का मेडिकल करवाया जाकर प्रार्थी श्री राजेश की उपस्थिति में घटनास्थल प्रथम व द्वितीय प्रदर्श पी 3 व प्रदर्श पी 4 नक्शा मौका बनाया गया जिस पर ए से बी परिवादी के, सी से डी व ई से एफ गवाह, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। राजेश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 5 व आरामी का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 6 है।

21– **गवाह पी.ड.–05 संपतराज** ने यह भी साक्ष्य दी है कि आरामी का एक्स रे फॉर्म प्रदर्श 7 है। आरामी की एक्से प्लेट जो कुल 3 है प्रदर्श 8 है। उक्त विवादित जमीन का राजस्व रेकॉर्ड एवं हल्का मौका पर्चा प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। जमाबंदी प्रदर्श 9 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श 10, मौका पर्चा प्रदर्श 11 है जिन पर शामिल पत्रावली का नोट अंकित है एवं ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। प्रार्थी राजेश एवं गवाह संजू, मंजू, सीता, संपतलाल, शिवप्रकाश और राजेन्द्र के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमती आरामी के बयान जिला अस्पताल केकडी पहुंचकर लिये गये और शामिल पत्रावली किये गये। संपूर्ण अनुसंधान से श्रीमती मनसौर और उमाशंकर के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया गया। मुलजिम मनसौर को जरिये फर्द प्रदर्श पी 12 व मुलजिम उमाशंकर को जरिये फर्द प्रदर्श पी 13 गिरफ्तार किया गया जिन पर ए से बी, सी से डी गवाह और ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर है। अभियुक्त उमाशंकर ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 14 दी कि ''मैनें एवं मेरी पत्नी मनसौर देवी ने मिलकर श्रीमती आरामी देवी के सिर में कुल्हाडी की मारी व लोहे की कुल्हाडी मैनें मेरे घर पर छुपा रखी है जिसे बरामद करवा सकता हूं।'' जिस पर ए से बी मुलजिम के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

22– **गवाह पी.ड.–05 संपतराज** ने यह भी साक्ष्य दी है कि कुल्हाडी को जरिये फर्द

प्रदर्श पी–15 जब्त किया गया, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाह, जी से एच उसके, ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। अभियुक्त मनसोर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 16 दी कि ''मैने व मेरे पति उमाशंकर ने मिल कर आरामीदेवी और राजेश के जिस बांस की लकडी से मारी वह बांस की लकडी जहां छुपा रखी है वह मेरे घर से बरामद करवा सकती हूं।'' जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बांस की लकडी को जरिए फर्द प्रदर्श पी–17 जब्त किया गया, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाह, जी से एच उसके, ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका आरोपीगण का मकान ग्राम प्रान्हेडा प्रदर्श पी 18 व तस्दीक नक्शा मौका आरोपीगण का मकान ग्राम प्रान्हेडा प्रदर्श पी 19 है जिन पर ए से बी, सी से डी गवाह के, इ से एफ व जी से एच मुलजिम के तथा आई से जे उसके हस्ताक्षर है।

23– **गवाह पी.ड.–05 संपतराज** ने यह भी साक्ष्य दी है कि रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 20 और प्रदर्श पी 21 है। उक्त आरोपीगण की इत्तला से जहां से कुल्हाडी एवं बांस की लकडी बरामद की है वह मकान आरोपीगण का ही है इस संबंध में मौजूदा सरपंच ग्राम पंचायत प्रान्हेडा का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 22 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया है एवं उस दिन मालखाना का चार्ज उसके पास था। उक्त माल को मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 154/22 दिनांक 29.11.2022 पर इन्द्राज किया गया जिसकी फोटो प्रति शामिल पत्रावली है। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी मालखाना मद संख्या, सी से डी मुकदमा नंबर व धारा, ई से एफ माल जमा इन्द्राज का विवरण, जी से एच उसके हस्ताक्षर व आई से जे थानाधिकारी के हस्ताक्षर है, जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रदर्श 23 ए है।

24– **गवाह पी.ड.–05 संपतराज** ने यह भी साक्ष्य दी है कि आर्टिकल 01– लोहे की कुल्हाडी, जिस पर सील चेपा प्रदर्श पी–24 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाह, ई से एफ मुलजिम उमाशंकर व जी से एच उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। आर्टिकल 02– लकडी, जिस पर सील चेपा प्रदर्श पी–25 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाह, ई से एफ मुलजिम मनसौर व जी से एच उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। संपूर्ण अनुसंधान से आरोपीगण उमाशंकर व श्रीमती मनसौर के खिलाफ धारा 323, 447, 451, 308 व 34 आई.पी.सी. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध चार्जशीट प्रदर्श पी 26 न्यायालय में पेश की गई जिस पर ए से बी थानाधिकारी अनिल देव कल्ला के हस्ताक्षर है, जिनके हस्ताक्षर वह पहचानता है।

25– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही मुकदमा धारा 308 भा.दं.सं. में दर्ज कर लिया था, फिर कहा कि मजरूब के सिर में चोट होने व अस्पताल में भर्ती होने से थानाधिकारी ने धारा 308 भा.दं.सं. में मुकदमा दर्ज कर लिया था। यह सही है कि अभियुक्तगण के द्वारा भी परिवादीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। यह सही है कि जमाबंदी प्रदर्श पी–9 में परिवादीगण व अभियुक्तगण सहखातेदार हैं। यह सही है कि दोनों पक्षों के मध्य जमीन

का विवाद था। आहत की मेडिकल रिपोर्ट में चोटें प्राण घातक नहीं थी। यह सही है कि चिकित्सक ने आहत राजेश कुमार व आरामी देवी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–5 व पी–6 में चोटें साधारण प्रकृति की होना बताया है।

26– **गवाह पी.ड.–06 डॉ. मुंशीलाल** मीणा ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 21.10.2022 को राजकीय जिला चिकित्सालय केकडी में रेडियॉलोजिस्ट के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मेडिकल ज्यूरिस्ट हरिओम गुप्ता के निवेदन पर मजरूबा श्रीमती आरामी देवी पत्नी श्री रामनारायण, उम्र 62 वर्ष जाति वैष्णव निवासी प्रान्हेडा केकडी के सिर पर आई चोटों का उसकी उपस्थिति में एक्स रे किया। एक्स–रे लिफाफा प्रदर्श 8 व आरामी की एक्स रे प्लेट प्रदर्श 9, 10 व 11 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श 7 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय है। उसकी राय में आरामी देवी के अस्थि भंग नहीं पाया गया। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरे द्वारा किए गए एक्सरे में कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया।

27– **गवाह पी.ड.–7 शिवप्रकाश** ने साक्ष्य दी है कि वह केकड़ी न्यायालय में वकालत करता है। आज से चार साल पहले की घटना है, लेकिन उसे घटना की जानकारी नहीं है। यह गवाह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने कथन किया कि पुलिस बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–27 का ए से बी भाग ''मैं दिनांक 13–10–2022.....विवाद है'', पुलिस को नहीं लिखाया। **बचाव पक्ष** के द्वारा गवाह से कोई जिरह नहीं की गई।

28– **गवाह पी.ड.–08 संपतलाल** ने साक्ष्य दी है कि आज से करीब 4 साल पहले की बात है। दिनांक 13.10.2022 को उमा शंकर व उसकी पत्नी मनसौर ने राजेश कुमार के खेत से ट्रेक्टर निकाल लिया था जिससे राजेश की सरसों की फसल में नुकसान हो गया था। इस कारण राजेश दिनांक 14.10.2022 को उलाहना देने गये। उमाशंकर उसकी पत्नी तथा राजेश व उसकी मां आपस में लडाई झगडा करने लग गये। वह उन लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर आया। उमाशंकर की पत्नी ने आरामी को धक्का दिया जिससे आरामी के खून बहने लग गया। आरामी को केकडी अस्पताल लेकर चले गये जहां पर उसका ईलाज चला। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि आरामी धक्का देने से गिरी थी तथा उसने कोई लकड़ी व कुल्हाड़ी नहीं देखी तथा दोनों पक्षों के मध्य जमीन का विवाद है। मेरी जानकारी में नहीं है कि दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो गया हो।

29– उपरोक्त समस्त साक्ष्य पर एकसाथ विचार किया जावे तो **गवाह पी.ड.–3 राजेन्द्र मीणा व पी.ड.–4 मन्जूदेवी** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि किसने, किसको मारी। **गवाह पी.ड.–5 सम्पतराज** के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान कर अनुसंधान के संदर्भ में साक्ष्य दी है। **गवाह पी.ड.–6 डा. मुंशीलाल** के द्वारा आहतगण के चोटों के संबंध में साक्ष्य दी है। **गवाह पी.ड.–7 शिवप्रकाश** को घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा यह गवाह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अपने पुलिस बयान

प्रदर्श पी–27 को पूर्णतः नकारा है तथा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। **गवाह पी.ड.–8 सम्पतलाल** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि आरामी धक्का देने से गिरी थी, जिससे उसके चोटें आई थी। **गवाह पी.ड.–1 राजेश कुमार** जो कि परिवादी/आहत है, के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उसके व अभियुक्तगण के मध्य जमीन का विवाद था तथा आपस में लड़ाई के दौरान धक्का–मुक्की होने से उसकी मां जमीन पर गिर गई थी, जिससे चोटें आई थी तथा मुलजिमान के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। **गवाह पी.ड.–2 आरामी** के बयान महत्वपूर्ण है। गवाह के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उसके व अभियुक्तगण के मध्य जमीन का विवाद था तथा आपस में कहासुनी तथा धक्का–मुक्की होने के कारण व नीचे गिर गई थी, जिससे उसके चोटें आई थी तथा अभियुक्तगण के द्वारा कोई चोटें कारित नहीं की गई।

30– आहतगण राजेश व आरामी के शरीर पर चोटें हैं। पत्रावली पर आहत राजेश कुमार का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–5 उपलब्ध है, जिसके अनुसार आहत राजेश कुमार के शरीर पर आई चोटें साधारण प्रकृति की है तथा आहता आरामीदेवी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–6 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 है, जिसके अनुसार आहता की चोटें साधारण प्रकृति की हैं, किन्तु आहतगण के कारित उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा मारपीट में कारित हुई हो, ऐसा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित नहीं है। स्वयं आहतगण राजेश व आरामी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ मारपीट नहीं की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य से यह साबित है कि अभियुक्तगण के द्वारा आहत राजेश कुमार व आरामी देवी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 308/34 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में असफल रहा है।

31– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण उमाशंकर, मनसौरदेवी आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 447/34, 451/34, 323/34 भा.दं.सं. में बरूये राजीनामा व धारा 308/34 भा.दं.सं. में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

– <u>आ दे श</u> –

32– अतः अभियुक्तगण **(1) उमाशंकर** पुत्र घनश्याम आयु 37 वर्ष **(2) श्रीमती मनसौर देवी** पत्नी उमाशंकर आयु 35 वर्ष, निवासीगण प्रान्हेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी सदर, जिला–अजमेर. (राज.) को अपराध आरोप अन्तर्गत धारा 447/34, 451/34, 323/34 भा.दं.सं. के अपराध में बरूए राजीनामा व धारा 308/34 भा.दं.सं. के अपराध में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया जाता है।

33– अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत, मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

34– प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत आलामात (फर्द जब्ती अनुसार) नियमानुसार

बाद गुजरने मियाद अपील नष्ट किए जावें।

35– आहतगण के कारित चोटों की प्रकृति के मद्देनजर धारा 357 एदं.प्र.सं./386 बी.एन.एस.एस. के तहत Victim compensation Scheme एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर को अनुशंसा नहीं की जाती है।

36– अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त प्रकरण में अपील/रिवीजन होने की सूरत में धारा 437 ए/481 बी.एन.एस.एस. के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् 25,000–25,000/–रू के जमानत, मुचलके न्यायालय में पेश करें।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

37– निर्णय व आदेश आज दिनांक 10.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

RAJENDERA NIRWAN

Steno Gr. I "Authenticate Document" Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN Date: 2026.06.11 12:41:52 +0530

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

––––––